



{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

रामजीलाल पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी ढाका का बास तन निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू आदि।	-बनाम-	महावीर पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी ढाका का बास तन निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू आदि।
किस्म मुकदमा- दावा: विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा		मु.नं. 109/2023 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
25.07.23	<p>आज यह वाद वादीगण की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सीगड़ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/8/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू </p> <p>25/8/23 पत्रावली पेश हुई। दफ्तर फरीकन (सुपस्थित) वकील बादी/प्रतिवादी ने तालिका हेतु पुन अवसर बाह्य अवसर दिया जाता है, मिसल दिनांक 28/8/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़ </p>	
28/8/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी को बाइ-बाइ-पायानव 24घं तक कवाज लगावार् गई, पत्रावली इनकी कोर इस कोर भी उपस्थित नहीं होते इस दावा कदम हाजरी एवं कदम पेशी से 29/8/23 मिला जाता है। पत्रावली केवल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कर हो तथा बाइ तस्वीर प्राप्त कारिवत दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़ </p>	

